

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :-अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :-164/2024

भूप सिंह पुत्र गंगाजल जाति जाट साकिन 75000 आर.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

--:: बनाम ::--

1. भागीरथ पुत्र गंगाजल जाति जाट साकिन 75000 आर.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

:-निर्णय:-

दिनांक :- 2/03/2024

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:-

क. वादी भूप सिंह:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
15 जेड.डब्ल्यू.डी.	67/368	1, 2, 6 ता 13, 14/.2088 उत्तरी, 15/.2087 उत्तरी, 18 ता 20	3.7065 हैक्.

ख. प्रतिवादी सं. 1:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
15 जेड.डब्ल्यू.डी.	68/368	1/2, 1/3, 7/2, 8/2, 9/2, 9/3, 10/2, 10/3, 11 ता 13, 14/1, 14/2, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2	1.987 हैक्.
	67/368	16, 17, 14/.0442 दक्षिणी, 15/.0443 दक्षिणी, 21 ता 25	1.8595 हैक्.

कुल तादादी 3.8465 हैक्.

भूमि 3.7065 हैक्. + 0.140 खाता

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक ...12/8/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी पुवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा